तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2.4.25	वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 25.4.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज०)	
25.4.25	[redacted] प्रार्थी उपस्थित/PO साहब दौरा राजकार्य में [redacted] पूर्वानुसार दि0 13.5.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
13.5.25	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजि० ए०डी० नोटिस पेश करें। अंतिम अवसर दिया जाता है पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 17.6.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्डाधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज0)	
17.6.25	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु समय चाहा पूर्व में कई अवसर दिये जा चुके है। लेकिन आज दिनांक तक तलबी का स्टेप नहीं लिया है अतः प्रार्थना पत्र 151 CPC आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के प्रावधानों के अन्तर्गत खारिज किया जाता है पत्रावली फैसलशुदा होकर [illegible] रहे। (हस्ताक्षर)	

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.06.2025	वकील सायलान उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील सायल का कथन है कि मूलवाद बंटवारे हेतु प्रस्तुत किया है। गैरसायलान बिना बंटवारे कराये विवादित आराजी पर कब्जा करना व सायलान को बेदखल करना चाहते है। इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाहते है। पत्रावली का अवलोकन किया, सायलान व गैरसायलान सहखातेदार काश्तकार है। मूलवाद बंटवारे हेतु प्रस्तुत किया है। सायलान व गैरसायलान के मध्य अनावश्यक वाद बहुलता ना बढ़े इसलिए सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझती है। अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र 212 आरटीए स्वीकार किया जाता है। गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करते हुए दिनांक 21.11.2022 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पुष्ट की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे। उपखण्डाधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज0)	